

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 48 / 2022

(Bank Case)

GCMS NO – 2022/

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा भामाशाह मंडी, जिला- कोटा (राज.)
जर्ये प्राधिकृत अधिकारी अनिल कुमार विजयवर्गीय।

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री दिनेश कुमार राठौर पुत्र श्री हनुमान प्रसाद

पता- मकान नं. 493, रतन सेव भंडार के पास, उम्मेद पार्क के सामने, नयापुरा, कोटा,
(राज.)

अन्य पता:- प्लॉट नं. 9-ए, शक्ति विहार, रामचन्द्रपुरा, होली फैमिली हॉस्पिटल के
पास, बोरखेडा, तहसील- लाडपुरा, जिला- कोटा (राज.)

2. श्रीमती गिरिजा साहू पत्नी श्री दिनेश कुमार राठौर

पता- मकान नं. 493, रतन सेव भंडार के पास, उम्मेद पार्क के सामने, नयापुरा, कोटा,
(राज.)

अन्य पता:- प्लॉट नं. 9-ए, शक्ति विहार, रामचन्द्रपुरा, होली फैमिली हॉस्पिटल के
पास, बोरखेडा, तहसील- लाडपुरा, जिला- कोटा (राज.)

– अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्युरिटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल
ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित:-

श्री आर.पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 25-04-2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा भामाशाह मंडी, जिला- कोटा (राज.) में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 09.12.2019 को ऋण रूपये 27,00,000/- (अक्षरे: रूपये सत्ताईस लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति श्री दिनेश कुमार राठौर पुत्र श्री हनुमान प्रसाद की सम्पत्ति प्लॉट नं. 9-ए, शक्ति विहार, रामचन्द्रपुरा, होली फैमिली हॉस्पिटल के पास, बोरखेडा, तहसील- लाडपुरा, जिला-कोटा, राजस्थान स्थित आवासिय सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 825 वर्गफीट)। जिसकी चर्तु सीमाए- पूर्व में अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में- प्लॉट नं. 10, उत्तर में- रोड, दक्षिण में- प्लॉट नं. 9-बी की सम्पत्ति है, जो जरिये विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 11.12.2019 से श्री दिनेश कुमार राठौर पुत्र श्री हनुमान प्रसाद के नाम है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के ऋण खाता को दिनांक 15.05.2021 को एन.पी.ए. कर दिया

Cum

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

गया। अप्रार्थीगण के खातों में रुपये 29,14,231.50/- (अक्षरों: रुपये उनतीस लाख चौदह हजार दो सौ इकत्तीस व पचास पैसे मात्र) दिनांक 10.05.2021 तक बकाया रकम शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 30.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को सुना गया। प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 30.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 30.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधक अचल सम्पत्ति श्री दिनेश कुमार राठौर पुत्र श्री हनुमान प्रसाद की सम्पत्ति प्लॉट नं. 9-ए, शक्ति विहार, रामचन्द्रपुरा, होली फैमिली हॉस्पिटल के पास, बोरखेडा, तहसील- लाडपुरा, जिला-कोटा, राजस्थान स्थित आवासिय सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 825 वर्गफीट)। जिसकी चर्तु सीमाएं- पूर्व में अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में- प्लॉट नं. 10, उत्तर में- रोड, दक्षिण में- प्लॉट नं. 9-बी की सम्पत्ति है, जो जरिये विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 11.12.2019 से श्री दिनेश कुमार राठौर पुत्र श्री हनुमान प्रसाद के नाम है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)